न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 14/ 2024

GCMS संख्या : 2024/36

प्रार्थी/अपीलार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री तेरसिंह पिता मकसी पारगी जाति भील निवासी हिंगोलिया गढा, तहसील व जिला बांसवाडा		1. श्री मदन सिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपुत जाति राजपुत निवासी सामागढा, तहसील व जिला बांसवाडा 2. रामसिंह पुत्र श्री मदन सिंह राजपुत जाति राजपुत निवासी सामागढा, तहसील व जिला बांसवाडा 3. श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री मदन सिंह राजपुत जाति राजपुत निवासी सामागढा, तहसील व जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री प्रवीण चन्द्र सुथार, अधिवक्ता अपीलांट

श्री यशपाल गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं 1, 2, 3

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 04–09–2025

अपीलांट द्वारा तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2015 तेरसिंह पिता मकसी बनाम मदन सिंह पिता तेजसिंह व अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 06–04–2023 से असन्तुष्ट, अप्रसन्न व व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी बाबत् स्थगन एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम संलग्न किया है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि प्रार्थी/ अपीलांट के स्वामित्व व आधिपत्य के आराजी नंबर 1391/2 रकबा 0.08 बीघा व 5634/4635 रकबा 0.15 बीघा कुल खेत दोकुल रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादी/ प्रार्थी खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अनाधिकृत रुप से बाउण्ड्री वाल बनाने व अतिक्रमण करने को आमदा है। प्रार्थी भील जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। अप्रार्थीगण सामान्य जाति के है तथा प्रार्थी की भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिचार कर बेदखल का प्रयास कर रहे है। प्रार्थी द्वारा किये गये कृत्यो को रोकने हेतु धारा 183 आर.टी.एक्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

2

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि रुपांतरण आदेश व मौके पर शेष जमीन के विपरीत निर्णय प्रार्थी के विरुद्ध पारित कर भूल की है।

अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने पूर्व में भी वादग्रस्त सर्वे नंबर के मूल खातेदार को बेदखल करने का कृत्य किया था। उस वक्त मूल खातेदार ने वादग्रस्त सर्वे नंबर भूमि के बावत् अप्रार्थीगण के विरुद्ध 183बी का प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.09.2011 को अप्रार्थी के विरुद्ध आदेश दिया कि सर्वे नंबर 4635/1390/02 में बेदखल करने एवं कब्जा प्रार्थी को सुपूर्द करने के आदेश दिये। उसी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण पुनः प्रार्थी तेरसिंह को बेदखल करना चाहते है। जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने की महान् भूल की है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खातेदार देवं पुत्री लालु व विठली बेवा लालु द्वारा भूमि संपरिवर्तन में से 20 गुणा 60 फीट क्रय की है। उक्त क्रय शुदा भूमि में जो चर्तुथसीमा बताई है उसमें दक्षिण दिशा में पगडण्डी रास्ता बता रखा है। उत्तर दिशा मे जो बता रखा है उसके मध्य कितनी भूमि शेष रहती है का अवलोकन अधिनस्थ न्यायालय ने नही किया एवं प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2023 को निरस्त करने व अप्रार्थीगण को अतिक्रमित भूमि पर से बेदखल करने निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.08.2024 को रेस्पोडेंट्स के नोटिस बाद तामिल पेश हुए एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 3 की ओर से श्री यशपाल गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने दिनांक 14.11.2024 को जवाब पेश किया। अपीलांट तेरसिंह ने अपने स्वामित्व व अधिपत्य के आराजी सर्वे नंबर 1391/2 रकबा 0.08 बीघा व सर्वे नंबर 5634/4635 रकबा 0.015 बीघा कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने अतिक्रमण करने को आमादा है, जिस कारण अप्रार्थी के कृत्यो को रोकने के लिये धारा 183 बी आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह उल्लेखित किया कि रेस्पोडेंट सं. 2 रामसिंह व रेस्पोडेंट सं. 3 महिपाल सिंह ने पूर्व– पश्चिम 60 फीट, उत्तर – दक्षिण 20 फीट ग्राम तलवाडा बी में स्थित भूमि को देवा पुत्री लालु व विठली पत्नि लालु से बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2002 के द्वारा क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एवं विक्रेता देवा एवं विठली ने अपने सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नंबर 4635/1390/2 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा में से 486 वर्ग मीटर तहसीलदार बांसवाडा के सम्परिवर्तन आदेश संख्या 840–43 दिनांक 15.04.2002 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रुपांतरित की गई। रेस्पोडेंट सं. 2 व रेस्पोडेंट सं. 3 ने उक्त रुपांतरित भूमि में से उक्त भूखण्ड 60 बाय 20 का क्रय किया। क्रय दिनांक से उक्त भूखण्ड पर रेस्पोडेंट सं. 2 व रेस्पोडेंट सं. 3 काबिज है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया कि विवादित भूमि की मौके की स्थिति की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा से करवाई एवं उनकी रिपोर्ट दिनांक 10.03.2023 के अनुसार तलवाडा के खाता संख्या 514, खातेदार तेरसिंह पिता मक्सी निवासी हिंगोलिया का गढा के नाम आराजी सर्वे नं. 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. किस्म चरनोई के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके की जांच पर पाया कि आराजी सं. 1391/2 रकबा 0.0647 है. भूमि पर खातेदार स्वयं का कब्जा काश्त होकर गेहूं की फसल खातेदार स्वयं द्वारा बोई गई है। आराजी सर्वे नंबर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि का लट्ठा ट्रेस में कही पर भी तरमीम नही है। मूल सर्वे नंबर 1390 में खातेदार का किसी भी स्थान पर कब्जा नही है। एवं अपीलांट्स द्वारा बताई गई भूमि ग्राम पंचायत तलवाडा के नाम सर्वे नंबर 390 रकबा 2.0549 है, किस्म चरनोई दर्ज रेकॉर्ड है एवं सर्वे नम्बर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि ऑनलाईन दर्ज नक्शा अनुसार बांसवाडा–डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के उत्तर दिशा में स्वीकृत है तथा उक्त भूमि के कुछ हिस्से में मन्दिर स्थित है शेष पर नाला स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वे नम्बर 390 में खातेदार का किसी भी स्थान पर कब्जा नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जो भूमि बताई जा रही है वह भूमि ग्राम पंचायत तलवाडा के नाम 1390 रकबा 2.549 है किस्म चरनोई दर्ज रेकॉर्ड है। आई.एल.आर. की रिकार्ड के अनुसार अपीलांट आराजी सर्वे नम्बर 1391/2 रकबा 0.0647 है एवं सर्वे नम्बर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि कुल 0.1861 है. पर अपीलांट के नाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा अपीलांट काबिज होकर काश्त [illegible]। उपरोक्त अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण [illegible] मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि अनुकुल है तथा अपीलांट की उपरोक्त भूमि सर्वे नम्बर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि का लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं है तथा ऑनलाईन नक्शे में डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए उत्तर दिशा में स्थिर होकर उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर मन्दिर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

शेष पर नाला स्थित है। विवादित दोनों आराजी पर रेस्पोडेंट्स का कोई अतिक्रमण व कब्जा अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं होना पाया, कब्जा नहीं पाये जाने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने पोषणीय नहीं माना और निरस्त किया जिसमें कोई त्रुटि नहीं की है।

रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 ने माननीय ग्राम पंचायत तलवाडा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा क्रय की गई भूमि व रूपांतरण आदेश प्रस्तुत कर उक्त भूमि व रूपांतरण आदेश प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर पंचायत द्वारा दिनांक 12.10.2004 की स्वीकृति दी गई। अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि, अपीलांट निरस्त फरमावें।

दिनांक 31.07.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई, जो अधुरी रही। दिनांक 01.09.2025 को मजीद बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.04.2023 पारित किया गया तथा प्रार्थी कई बार न्यायालय में उक्त प्रकरण के पेशी बाबत् गया तो प्रार्थी के प्रकरण के निर्णय की कोई जानकारी नही दी गई ना ही प्रकरण मे बहस सुनी गई। उसके बाद प्रार्थी न्यायालय मे गया तो विधानसभा चुनाव का हवाला दिया गया उसके बाद लोकसभा चुनाव का हवाला दिया गया दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया तो दिनांक 20.06.2024 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 06.04.2023 को निर्णित कर दिया है। अपील अन्दर म्याद है। फिर भी अपील में देरी ना मानी जावे। अपील देरी से पेश करने का कारण सदभाविक एवं न्यायोचित्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार कर देरी को क्षम्य फरमावे।

रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.04.2023 को पारित कर दिया गया था उसके उपरांत नकल हेतु आवेदन एक वर्ष दो माह पश्चात् प्रस्तुत किया एवं निर्णय का ज्ञान नही था तथा विधानसभा, लोकसभा चुनाव चल रहे थे उपरोक्त न्यायोचित कारण नही है जबकि विधानसभा चुनाव माह 2023 में सम्पन्न हो चुके थे तथा अपीलांट/ प्रार्थी ने जो कारण बताये है [illegible] योग्य नही है एवं प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित [illegible] किया है प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर बहस के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/ अपीलांट के स्वामित्व व आधिपत्य के आराजी नंबर 1391/2 रकबा 0.08 बीघा व 5634/4635 रकबा 0.15 बीघा कुल खेत दोकुल रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादी/ प्रार्थी खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी भील जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत रुप से अतिचार करने के प्रयास पर कृत्यो को रोकने हेतु धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया।

अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने पूर्व में भी वादग्रस्त सर्वे नंबर के मूल खातेदार को बेदखल करने का कृत्य किया था। जिस पर मूल खातेदार ने वादग्रस्त सर्वे नंबर भूमि के बाबत् अप्रार्थीगण के विरुद्ध 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार बांसवाडा द्वारा दिनांक 12.09.2011 को अप्रार्थी के विरुद्ध सर्वे नंबर 4635/1390/2 में बेदखल करने एवं कब्जा प्रार्थी को सुपूर्द करने आदेश दिये। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में उक्त प्रकरण में पारित निर्णय, मौका पर्चा का अवलोकन किये बिना तथा इस प्रकरण में बहस सुने बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2023 को निरस्त करने व अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि से बेदखल करने आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2023 के अनुसार तलवाडा के खाता संख्या 514, खातेदार तेरसिंह पिता मक्सी निवासी हिंगोलिया का गढा के नाम आराजी सर्वे नं. 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. किस्म चरनोई के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके की जांच पर पाया कि आराजी सं. 1391/2 रकबा 0.0647 है. भूमि पर खातेदार स्वयं का कब्जा काश्त होकर गेहूं की फसल खातेदार स्वयं द्वारा बोई गई है। आराजी सर्वे नंबर 5634/4635/1390/2 रकबा [illegible] भूमि का लट्ठा ट्रेस में कही पर भी तरमीम नही है। मूल सर्वे नंबर 1390 में खातेदार [illegible] स्थान पर कब्जा नही है। एवं अपीलांट्स द्वारा बताई गई भूमि ग्राम पंचायत तलवाडा के नाम सर्वे नंबर 1390 रकबा 2.0549 है, किस्म चरनोई दर्ज रेकॉर्ड है सर्वे नम्बर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि ऑनलाईन दर्ज नक्शा अनुसार बांसवाडा–डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के उत्तर दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

में स्वीकृत है तथा उक्त भूमि के कुछ हिस्से में मन्दिर स्थित है शेष पर नाला स्थित है। अपीलांट द्वारा जो भूमि बताई जा रही है वह भूमि ग्राम पंचायत तलवाडा के नाम 1390 रकबा 2.549 है किस्म चरनोई दर्ज रेकॉर्ड है। आई.एल.आर. की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट आराजी सर्वे नम्बर 1391/2 रकबा 0.0647 है एवं सर्वे नम्बर 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि कुल 0.1861 है. पर अपीलांट के नाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है। उपरोक्त अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि अनुकुल है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता का प्रमुख रुप से उज्र रहा कि प्रार्थी/ अपीलांट के स्वामित्व व आधिपत्य के आराजी नंबर 1391/2 रकबा 0.08 बीघा व 5634/4635 रकबा 0.15 बीघा कुल खेत दो कुल रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादी/ प्रार्थी खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी भील जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत रुप से अतिचार करने के प्रयास पर कृत्यो को रोकने हेतु धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में उक्त प्रकरण में पारित निर्णय, मौका पर्चा का अवलोकन किये बिना तथा इस प्रकरण में बहस सुने बिना ही निर्णय पारित किया है। इस सन्दर्भ में यह कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी उभय पक्षकारान के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांट श्री तेरसिंह पुत्र मकजी जाति भील के नाम ग्राम तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा के नाम सर्वे नं. 1391/2 रकबा 0.0647 है. किस्म पडत, सर्वे नं. 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. किस्म चरनोई दर्ज रेकार्ड है। भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा की रिपोर्ट व मौकापर्चा दिनांक 10.03.[illegible] सर्वे नंबर 1391/2 रकबा 0.0647 है. भूमि पर खातेदार स्वयं का कब्जा है। [illegible] के अन्य सर्वे नं. 5634/4635/1390/2 रकबा 0.1214 है. भूमि का लट्ठा ट्रेस में [illegible] ही पर भी तरमीम नही है। सर्वे नं. 5634/4635/ 1390/2 रकबा 0.1214 है. ऑनलाईन दर्ज नक्शा अनुसार बांसवाडा–डुंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एन.एच 927ए के उत्तरी दिशा में स्थित है, इस भूमि के कुछ हिस्से पर मन्दिर स्थित है एवं शेष भूमि पर नाला स्थित है।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा नही है। तहसीलदार तहसील बांसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 01/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, में जाँच, तथ्यो की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2015 तेरसिंह बनाम मदनसिंह व अन्य, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 06.04.2023 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04–09–2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner